

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला  
मैजिस्ट्रेट एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर  
के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338  
दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को  
बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत  
खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है।  
जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की  
कार्यवाही की जा रही है।

2021/260

प्रार्थी केहर सिंह पुत्र जीवन सिंह  
रायसिख निवासी चक 4बी बडी पक्की  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना  
पत्र, शपथ पत्र व आई.डी.चप्रूफ, एवं दो  
गवाह का शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ, रसीद  
पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा  
प्रस्तुत बन्द वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ  
कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान अर्जुन सिंह पुत्र राम  
सिंह एवं कर्म सिंह पुत्र हरदत्त सिंह की  
पहचान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार ग्रोवर  
अधिवक्ता श्रीगंगानगर. ने की।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत  
कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा  
कर सील्ड पैकेट बन्द वसीयत को सेफ  
कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ  
प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

जिला पंजीयक महोदय

28.1.21